सं.14/2/2015-ईओयू
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 06 मई, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय : ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओयू) की दिनांक 27 अगस्त, 2015 को आयोजित तीसरी बैठक (2015 श्रृंखला) की कार्यसूची भेजने के संबंध में।

मुझे श्री राजीव खेर, वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में कमरा संख्या 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में दिनांक 27 अगस्त, 2015 को अपराह्न 3.00 बजे आयोजित होने के लिए निर्धारित ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड की (2015 श्रृंखला की) तीसरी बैठक के लिए कार्यसूची की मदों की एक प्रति इसके साथ भेजने का निदेश हुआ है।

2. कृपया बैठक में उपस्थित होने की कृपा करें।

ह0/-
(एस.एस. कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23062496
ई-मेल : kumar.ss@nic.in

1. **औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग**
2. **सीबीईसी [सदस्य (सीमाशुल्क)], वित्त मंत्रालय**
3. **सीबीडीटी]सदस्य (आयकर)], वित्त मंत्रालय**
4. **डीजीएफटी**
5. **संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय**
6. **संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय**
7. **सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय**
8. **सभी विकास आयुक्त**

प्रतिलिपि : वाणिज्य सचिव के प्रधान निजी सचिव/संयुक्त सचिव (एकेबी) के प्रधान सचिव/संयुक्त सचिव जीपीएम के निजी सचिव/निदेशक (एमवी) के निजी सचिव, निदेशक (एसएस) के निजी सचिव।

ईओयू स्कीम के लिए दिनांक 27.08.2015 को प्रात: 10.3; बजे बीओए की आयोजित होने वाली तीसरी बैठक (2015 श्रृंखला) के लिए कार्यसूची।

3.1(15) बीओए की दिनांक 19.05.2015 को आयोजित दूसरी बैठक (2015 श्रृंखला) के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि।

3.2(15) एमईपीजेड के अंतर्गत कांचीपुरम स्थित एक ईओयू मैसर्स डेको डि ट्रेंड – विनिर्मित वस्तुओं और उन विनिर्मित वस्तुओं के साथ-साथ उनके निर्यात संबंधित वस्तुओं का समेकन।

इस यूनिट को हस्तशिल्प मदों जैसे शुष्क फूलों की सजावटी मदों, पौधे के शुष्क पार्ट्स, समुद्री घोंघों, स्टोन्स/पेबल्स, मसालों, टैराकोटा मदों और एन्गेज हेयर (मेटल फाइबर) तथा पाटयूरी प्रसंस्कृत अगरबतियों और परफ्यूस ऑयल हर्ब एक्सट्रेक्ट्स का विनिर्माण करने तथा उसका निर्यात करने के लिए दिनांक 05.05.2013 को अनुमति पत्र (एलओपी) दिया गया था और इसने दिनांक 16.05.2003 से अपनी वाणिज्यिक उत्पाद गतिविधि करना शुरू कर दी थी। इस यूनिट द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान कुल 53.17 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया।

अब इस यूनिट ने शुल्क का भुगतान किए बिना निम्नलिखित स्वदेशी सामग्री का अधिप्रापण करने या उनका आयात करने तथा उसका एवं एसके उन निर्यात उत्पादों का निर्यात करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा अपने घरों को सजाने अथवा सुगंधित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है :

i. **शीशे के उत्पाद (शीशे की बोतलें, ग्लास चिप्स आदि)**
ii. **सिरेमिक उत्पाउद (टेराकोटा, सिरेमिक वेयर आदि)**
iii. **वस्त्र उत्पाद (कॉटन रिबन, कपड़े आदि)**
iv. **जूट उत्पाद (जूट के थैले, जूट के कपड़े आदि)**
v. **लकड़ी के उत्पाद और सजावटी सामान (लकड़ी का बना स्टैंड, लकड़ी की बनी वस्तुएं आदि)**
vi. **इलेक्ट्रिक उत्पाद (इलेक्ट्रिक लैम्प्स, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स)**
vii. **धातु के उत्पाद (आयरन एंड स्टील, ब्रास, एल्युमिनियम**
viii. **कागज के उत्पाद (हस्तनिर्मित कागज, कोरूमेटेड कागज)**
ix. **समुद्री उत्पाद (सी शेल्स, स्टॅरफिश बोन्स आदि)**
x. **एक्सपोलिएटेड वर्गीक्यूलाइट (पर्फ्यूम्ड)**
xi. **प्लास्टिक उत्पाद (प्लास्टिक गेंदें, प्लास्टिक कन्पेनर्स आदि)**

विदेश व्यापार नीति के संगत प्रावधान

विदेश व्यापार नीति 2015-20 का पैरा 6.01(के) यह उल्लेख करता है कि :

"अनुमोदन बोर्ड रत्न एवं आभूषण को छोड़कर अन्य सेक्टरों में ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/ बीटीपी यूनिटों के अनुरोध पर मामला-दर-मामला आधार पर विनिर्मित मदों और उन विनिर्मित मदों के निर्यात से संबंधित वस्तुओं का समेकन करने के लिए अनुमति देगा। ईओयू द्वारा इनमदों का डीटीए से शुल्क का भुगतान किए बिना आयात/अधिप्रापण करने की अनुमति देगा, यह उस यूनिट द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में इन निर्यातित विनिर्मित वस्तुओं के एफओबी मूल्य की 5 प्रतिशत सीमा तक वैध होगा। ईओयू द्वारा अधिप्राप्त/आयातित वस्तुओं और विनिर्मित मदों की अपने निर्यात दस्तावेजों में अलग-अलग सूची रखी जाएगी। इन मामलों में अधिप्राप्त/आयातित वस्तुओं के मूल्य को एनएफई और डीटीए बिक्री हकदारी का परिकलन करने के लिए नहीं माना जाएगा। इन अधिप्राप्त/आयातित वस्तुओं को डीटीए में बचने की अनुमति नहीं होगी। अनुमोदन बोर्ड कोई

अन्य शर्त भी लगा सकता है।"

विकास आयुक्त की सिफारिश : विकास आयुक्त ने सूचित किया कि यह यूनिट निर्यातित मदों के पिछले वर्ष निर्यात की गई वस्तुओं के एफओबी मूल्य के 5 प्रतिशत के समेकन मूल्य की अधिकतम सीमा का अनुपालन करेंगी।

3.3(15) मैसर्स एम्क्योर फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड – सीप्ज अंतर्गत एक डीटीए इकाई को एक ईओयू में सम्परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव।

आवेदक कंपनी ने प्लाट संख्या पी1, आईटीबीटी पार्क फेज-II, एमआईडीसी, हिंडवाड़ी पुणे स्थित अपनी मौजूदा डीटीए यूनिट को इन्जेक्टेबल रूप में एलोपैथिक फार्मास्युटिकल्स उत्पादों अर्थात वायल्स एवं पहले से भरी सिरिंजों का विनिर्माण करने के लिए ईओयू यूनिट के रूप में सम्परिवर्तित करने के लिए एलओपी देने हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया है।

सहायक आयुक्त, उत्पाद शुल्क, पुणे ने प्रस्तावित फैक्टरी परिसर की निर्यात जांच प्रस्तुत की है और यह सूचित किया है कि प्रस्तावित स्थल 95 वर्षों की अवधि के लिए एमआईडीसी से पट्टे पर लिया गया है और यह पट्टा 01.08.2004 से प्रारंभ हुआ है। प्रस्तावित परिसर/भवन की योजना केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा धारा 58 और 65 के तहत आवश्यक अनुमति जारी करने के लिए उपयुक्त है।

आवेदक ने पूंजीगत वस्तुओं का आयात करने के लिए अग्रिम प्राधिकार एवं ईपीसीजी प्राधिकार प्राप्त किया है। यूनिट ने यह सूचित किया है कि मुक्त पूरे न किए गए प्राधिकारों के विरुद्ध निर्यात दायित्व को कम करने और एनओसी/छुटकारा प्राप्त करने के लिए डीजीएफटी के पास जाएगा और उसे उचित समय पर विकास आयुक्त, सीप्ज के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। इस यूनिट द्वारा यह भी सूचित किया गया कि यदि सम्परिवर्तन से पहले कोई नया प्राधिकार प्राप्त किया जाता है तो उसकी सूचना विकास आयुक्त, सीप्ज को दी जाएगी और निर्यात दायित्व की पूर्ति विनिर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात प्रस्तावित ईओयू द्वारा किया जाएगा।

संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश 119.61 करोड़ रुपये का है और वर्ष 2014-15 के लिए निवेश 157.70 करोड़ रुपए का था।

एफटीपी के संगत प्रावधान : पैरा 6.07 में यह उल्लेख है कि :

"किसी ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/ बीटीपी यूनिट जिसका संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक है या उसका निर्यात प्रतिवर्ष 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक है उसको मौजूदा डीटीए यूनिटों से सम्परिवर्तन करने के लिए प्रस्ताव को निर्णायार्थ अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।"

उन डीटीए यूनिटों को ईओयू में परिवर्तित करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश, जहां अग्रिम प्राधिकार में रिडेम्पशन लंबित है और ईपीसीजी स्कीम के अंतर्गत निर्यात दायित्व बकाया है, विदेशी व्यापार नीति 2015-20 के परिशिष्ट 6एम में परिभाषित किए गए हैं।

विकास आयुक्त की सिफारिशें : आवेदक कंपनी ईओयू की स्थापना करने के लिए यथा-निर्धारित प्रावधानों को पूरा करती है और विकास आयुक्त ने सिफारिश की है कि इस यूनिट के अनुरोध पर विचार किया जा सकता है।

3.4(15) एनएसईजेड के अधीन कानपुर में स्थित एक ईओयू मैसर्स एमकेयू (प्राइवेट) लिमिटेड (ऑप्टिक्स डिवीजन) के अनुमति पत्र का 5वें वर्ष के लिए विस्तार इस यूनिट को दिनांक 12.5.2011 को बाइनोकुलर्स एवं मोनोकुलर्स का निर्माण करने और उनका निर्यात करने के लिए अनुमति पत्र दिया गया था। इस यूनिट ने अपना उत्पादन अभी तक प्रारंभ नहीं किया है।

इस यूनिट ने पैसिव नाइट विजन गॉगल्स नाइट विजन डिवाइसेस एवं ऑप्टिक्स, बाइनाकुलर्स, मोनोकुलर्स और रिफ्रेक्टिंग टेलीस्कोप, एस्ट्रोनामिकल इन्स्ट्रुमेंट्स, नाइट विजन साइट, पार्ट्स एवं असेसरीज (मॉउंटिंग सहित) का विनिर्माण करने तथा निर्यात करने के लिए नोएडा में एक ईओय यूनिट की स्थापना करने के लिए आवेदन किया है। यूएसी ने दिनांक 28.04.2011 को आयोजित बैठक में उन मदों को बनाने और केवल दो उत्पादों का अर्थात बाइनाकुलर्स एवं मोनोकुलर्स का निर्यात करने के लिए अनुमोदन दे दिया क्योंकि केवल इन्हीं दो मदों को औद्योगिक उत्पादन के लिए छूट प्राप्त है।

प्रथम 3 वर्षों की समाप्ति के उपरांत, इस एलओपी को दिनांक 11.05.2015 तक के लिए अर्थात एक वर्ष के लिए पुन: इस आधार पर बढ़ाया गया कि उसकी लोकेशन के नोएडा के उपरिशीर्षों एवं व्ययों को कानपुर अंतरित कर दिए जाने के लिए दी गई और उसे कानपुर भेजा गया।

विदेश व्यापार नीति के संगत प्रावधान :

विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.05(क) के अनुसार यदि किसी एलओपी का 4 वर्ष से अधिक की समयावधि के लिए विस्तार करने की आवश्यकता हो तो इसकी अनुमति अनुमोदन बोर्ड द्वारा दी जाएगी।

विकास आयुक्त की सिफारिशें : 5वें वर्ष अर्थात 12.05.2015 से 11.05.2011 तक की अवधि के लिए एलओपी के विस्तार के लिए अनुरोध को पैरा 6.05(क) के अंतर्गत विचार किया जा सकता है।

3.5(15) केएएसईजेड के अंतर्गत ईओयू मैसर्स गीतांजलि वूलेन्स और मैसर्स प्रयास वूलन्स प्रयुक्त/फटे कपड़ों का पुनर्प्रसंस्करण करने के कार्य में लगी इन यूनिटों के अनुमति पत्र का विस्तार करने का प्रस्ताव।

केएएसईजेड के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत गुजरात में मैसर्स प्रयास वूलन्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स गीतांजलि वूलेन्स प्राइवेट लिमिटेड नामक दो ईओयू पुराने/फटे कपड़ों का पुनर्ससंस्करण करने के कार्य में लगी हैं। अनुमोदन बोर्ड ने अपनी दिनांक 18.11.2010 को आयोजित बैठक में मैसर्स गीतांजिल वूलेन्स प्राइवेट लिमिटेड के एलओपी को अगले 5 वर्षों के ब्लॉक अर्थात 23.10.2015 तक के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। तथापि, अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स प्रयास वूलेन्स प्राइवेट लिमिटेड के एलओपी का विस्तार दिनांक 30.09.2012 के आगे करने के प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी और अनुमोदन बोर्ड ने अपनी दिनांक 14.09.2012 को आयोजित बैठक में मैसर्स गीतांजिल वूलेन्स प्राइवेट लिमिटेड को निदेश दिया कि उसकी वैधता 23.10.2015 से 31.03.2013 तक ही सीमित रखी जाए। मैसर्स गीतांजलि वूलेन्स प्राइवेट लिमिटेड ने गुजरात उच्च न्यायालय में एक एससीए दायर किया है और माननीय न्यायालय ने उसकी एलओपी 23.10.2015 तक बढ़ाने का निदेश दिया है।

अब, दोनों यूनिटों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें अनुरोध किया गया है कि उनके एलओपी का विस्तार किया जाए। प्रयुक्त/फटे पुराने कपड़ों का पुनर्प्रसंस्करण में लगी ईओयू की नीतिगत समीक्षा चल रही है।

विदेश व्यापार नीति के संगत प्रावधान : ईओयू के लिए सेक्टर विदेश व्यापार नीति 2015-20 के परिशिष्टों एवं एएनएम के परिशिष्ठ 6ख में, जो टेक्सटाइल सेक्टर को कवर करता है विनिर्धारित किया गया है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार :

"परिधानों/पुराने कपड़ों/सेकेंडरी टेक्सटाइल्स सामग्री/क्लिपिंग/चिथड़ों/औद्योगिक वाइपर्स/शॉडी वूल/यार्न/ ब्लैंकेट्स/शालन और अन्य पुनर्चक्रण योग्य टेक्सटाइल सामग्री का पुनर्प्रसंस्करण करने से संबंधित क्रियाकलापों की अनुमति ईओयू स्कीमों के अंतर्गत नहीं दी जाएगी।"

3.6(15) मैसर्स सैपलिंग एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड : उनके एलओपी को पुन: वैध बनाए जाने के लिए प्रस्ताव को विकास आयुक्त, एफएसईजेड द्वारा निरस्त कर दिया गया।

इस यूनिट को मशरूम का उत्पादन करने और उसका निर्यात करने के लिए कोलकाता में एक ईओयू यूनिट की स्थापना करने के लिए 05.05.2003 को एक अनुमति पत्र जारी किया गया था। इस एलओपी को 04.01.2007 तक बढ़ाया गया। इस यूनिट ने जोन को सूचित किया है कि उन्होंने दिनांक 16.03.2007 से वाणिज्यिक उत्पादन करना शुरू किया था। तथापि, इस यूनिट ने वित्तीय वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए एपीआर एवं क्यूपीआर प्रस्तुत नहीं की गईं। सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क ने लोन को यह सूचित किया कि :

i. **गेट कीपर के कथनानुसार यह कारखाना बंद कर दिया गया था।**
ii. **फैक्टरी गेट पर ताला पड़ा था और फैक्टरी में गेट कीपर को छोड़कर कोई अन्य आदमी नहीं था।**
iii. **गेट कीपर कोई भी जानकारी देने में असमर्थ था।**

इस यूनिट को परियोजना का क्रियान्वयन न किए जाने, एपीआर प्रस्तुत न किए जाने, एलओपी एवं एलयूटी की शर्तों एवं निबंधनों का उल्लंघन करने के लिए विकास आयुक्त, एफएसईजेड द्वारा दिनांक 10.07.2013 को एससीएन जारी किया गया। इस यूनिट को दिनांक 23.09.2013 को ओ-आई-ओ जारी किया गया और यह पाया गया कि दिनांक 16.03.2007 को लगभग 34 लाख रुपये मूल्य का उत्पादन किया गया था और उसके बाद कोई उत्पादन नहीं हुआ। इस उत्पद्दन को हर हाल में बिना पूर्वानुमोदन के डीटीए में बेचा गया। इस यूनिट ने वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए एपीआर प्रस्तुत नहीं कीं और इस यूनिट ने बड़ी संख्या में निवेशकों, जिनमें एक्जिम बैंक भी शामिल है, के देयों का भुगतान नहीं किया है। इस यूनिट द्वारा कार्यनिष्पादन अच्छी तरह न किए जाने को देखते हुए विकास आयुक्त ने इस इकाई के अनुमति पत्र को, जो दिनांक 16.03.2012 को समाप्त हो गया, निरसत कर दिया और एनएफई को पूरा न करने के लिए 10 करोड़ रुपये का अर्थदंड, प्रत्येक निदेशक पर कार्यनिष्पादन न करने के लिए 5 लाख रुपये का अर्थदंड और पिछले 3 वर्षों के लिए एपीआर प्रस्तुत न करने के लिए 75000/-रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया।

तत्पश्चात, इस यूनिट ने डीजीएफटी की अपीलीय समिति के समक्ष एक अपील दायर की। डीजीएफटी ने इसकी अपील पर दिनांक 22.06.2015 को एक अंतरिम आदेश दिया और यूनिट को निदेश दिया कि :

i. **सभी बैंकों के बकाया देयों का तुरंत भुगतान करे।**
ii. **अनुमोदन बोर्ड से, जो इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी हैं, विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार एलओपी का पुनर्वैधीकरण/विस्तार कराए और अनुमोदन बोर्ड का निर्णय अपीलीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।**
iii. **अपीलकर्ता द्वारा अपने एलयूटी में की गई प्रतिबद्धता तुलनपत्र तथा फर्म की लेखाओं में झलकनी चाहिए और उसका साक्ष्य अपीलीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।**

अपीलीय समिति ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख दिनांक 15.09.2015 को अपराह्न 3.00 बजे निर्धारित की है।

विकास आयुक्त की संस्तुति : समिति ने उल्लेख किया है कि अपीलीय समिति के निदेश के अनुसार यूनिट से सीधे वाणिज्य विभाग को आवेदन किया है। इस यूनिट के आवेदन पर विशिष्ट टिप्पणी की प्रतीक्षा की जा रही है।

3.7(15) मैसर्स कैनफ्रूट एक्सपोर्ट्स इंडिया लिमिटेड – उनके एलओपी, जिसे विकास आयुक्त, वीएसईजेड द्वारा निरस्त कर दिया गया था, का पुनर्वैधीकरण कराने के लिए प्रस्ताव

- **मैसर्स कैनफ्रूट एक्सपोर्ट्स इंडिया लिमिटेड फ्रूट जूस कन्सेन्ट्रेट्स का विनिर्माण करने और उसका निर्यात करने के लिए एसवाई संख्या 12-5/1,3 35वां कि.मी. विजयवाड़ा एल्लुरु हाईवे, तेल्लाप्रोलु गांव, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश में एक यूनिट की स्थापना करने के लिए दिनांक 24.10.1995 को अनुमति पत्र का अनुमोदन किया गया था। इस यूनिट ने वर्ष 2002 में अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था।**
- **केवल 2005-06 तक निर्यात किया।**
- **इस यूनिट ने 2002-2007 तक की अवधि के लिए ऋणात्मक एनएफई अर्जित किया और इस यूनिट पर 2 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।**
- **इस यूनिट को अगले 5 वर्षों की अवधि अर्थात वर्ष 2012 तक के लिए एलओपी का और अनुमोदन इस शर्त के अध्यधीन दिया गया कि यह यूनिट 2015-2008 तक या इससे पहले अपना उत्पादन पुन: प्रारंभ कर देगी। ऐसा न करने पर इसका एलओपी स्वत: ही निरस्त हो जाएगा।**
- **यूनिट से प्राप्त अनुरोध के आधार पर इस यूनिट के एलओपी की वैधता 10.11.2009 तक बढ़ाई गई परंतु इस यूनिट ने विनिर्धारित समय के अंदर कोई निर्यात नहीं किया।**
- **दिनांक 10.06.2007 को 09.06.2011 तक की संचयी अवधि के लिए इस यूनिट के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि यह यूनिट एनएफई ऋणात्मक है क्योंकि इस यूनिट ने कोई निर्यात किया ही नहीं और इस यूनिट पर 25,000/-रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।**
- **व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इस यूनिट द्वारा दिए गए इस आश्वासन के अनुसार कि निर्यात दिसम्बर 2013 से प्रारंभ हो जाएंगे, इसके एलओपी का 31.12.2013 तक की अवधि के लिए पुनर्नवीकरण इस शर्त के अध्यधीन कर दिया गया कि यदि दिनांक 31.12.2013 तक निर्यात करना शुरू नहीं किया गया तो इसकी एलओपी दिनांक 01.01.2014 से निरस्त हो जाएगी।**
- **इस यूनिट ने दिनांक 31.12.2013 तक उत्पादन शुरू नहीं किया और इसने अपने एलओपी का अगले छह माह तक की अवधि अर्थात 30.06.2014 तक पुन: बढ़ाए जाने का अनुरोध किया।**
- **इस यूनिट ने पहले ब्लॉक के ऋणात्मक एनएफई निष्पादन के लिए 2 लाख रुपये के अर्थदंड का और दूसरे ब्लॉक के लिए 25,000/-रुपये के अर्थदंड का भुगतान किया।**
- **इस यूनिट के एलओपी में पुन: 30.06.2014 तक की अवधि के लिए विस्तार इस शर्त के अध्यधीन किया गया कि वह दिनांक 30.06.2014 तक उत्पादन प्रारंभ कर देगी। तथापि, इस यूनिट ने अपना उत्पादन प्रारंभ नहीं किया।**
- **यूनिट जून, 2011 के अंतिम सप्ताह तक अपनी फैक्टरी का उत्पादन प्रारंभ नहीं कर सकी और इसलिए इस यूनिट को वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए एससीएन जारी किया गया।**
- **इस यूनिट ने कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। इस यूनिट को अपनी यूनिट का प्रचालनीकरण करने के लिए कई अवसर दिए गए, इसके बावजूद भी यह यूनिट इस अवसर का उपयोग नहीं कर सकी और इसने बार-बार केवल अपनी एलओपी का विस्तार करने का ही अनुरोध किया। इस यूनिट की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकास आयुक्त ने इसके एलओपी को निरस्त कर दिया और इस पर 50,000/-रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया।**

इस यूनिट ने विकास आयुक्त के निरस्तीकरण आदेश के खिलाफ अपीलीय समिति, डीजीएफटी के समक्ष एक अपील दायर की। अपीलीय समिति ने इसकी अपील खारिज कर दी क्योंकि इस अपीलका समय निकल चुका था और इसमें विकास आयुक्त के दिनांक 17.12.2014 के आदेश की परिपुष्टि की गई थी और यह उल्लेख किया गया था कि इसके एलओपी में पुन: विस्तार करने के मुद्दे पर विकास आयुक्त, वीएसईजेड/यूएसी/अनुमोदन बोर्ड द्वारा गुणावगुण द्वारा विचार किया जाएगा।

अपीलीय समिति के आदेश के अनुसार यह मामला यूएसी की दिनांक 15.06.2015 को आयोजित बैठक में उसके समक्ष रखा गया। वीएसईजेड द्वारा प्रस्तुत किए गए इस बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार समिति ने यह निश्चय किए गए इस बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार समिति ने यह निश्चय किया कि इस यूनिट के एलओपी का दिनांक 01.07.2014 से 10.06.2012 से 09.06.2017 की ब्लॉक अवधि में विस्तार के अनुरोध को ईओयू की अनुमोदन बोर्ड के समक्ष भेज दिया जाए। यूएसी द्वारा यह प्रेक्षण किया गया कि क्षेत्राधिकार वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी ने सूचित किया कि निर्धारिती ने अभी हाल ही में मशीनरी की कुछ मरम्मत करवाई थी और न्याय निर्णय की प्रक्रिया उनकी ओर से अभी भी पूरी की जानी बाकी है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर आयुक्त, गुन्टूर ने अपने दिनांक 22.07.2015 के पत्र के तहत विकास आयुक्त, वीएसईजेड को यह सूचित किया कि यह यूनिट इसके एलओपी का दिनांक 30.06.2014 तक विस्तार किए जाने के बावजूद अपना उत्पादन प्रारंभ करने में असफल रही है। उन्होंने शुल्क का भुगतान किए बिना कई वस्तुओं की खरीद की है और उन वस्तुओं की खरीद दर राजस्व की भारी राशि अंतर्ग्रस्त है। यह इकाई फल गूदा आधारित उद्योग है और इस वर्ष आय का सीजन समाप्त हो चुकी है। इसलिए उत्पादन प्रारंभ करना एक सपना जैसा लगता है। अत: केंद्रीय उत्पादन शुल्क आयुक्त ने यह अनुभव किया कि इस यूनिट के एलओपी में और अधिक विस्तार करने का अनुरोध भरोसा करने योग्य नहीं है और उसकी मना ही कर दी जानी चाहिए।

विकास आयुक्त की टिप्पणियां : विकास आयुक्त वीएसईजेड ने अपना अभिमत व्यक्त किया कि एलओपी (जिसे पहले ही निरस्त कर दिया गया है) की वैधता में और अधिक विस्तार करने के अनुरोध में कोई दम नहीं है। डीसी ने बीओए से अनुरोध किया कि इस यूनिट के एलओपी की वैधता को 01.07.2014 से 09.06.2017 तक की अवधि के लिए (10.06.2012 से 09.06.2017 तक की ब्लॉक अवधि के लिए) बढ़ाए जाने के अनुरोध पर विचार करें।

भाग-II

बीओए का अनुसमर्थन प्राप्त करने के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत विकास आयुक्त द्वारा वर्ष 1995 के प्रेस नोट संख्या 3 के अनुरूप दिया गया अनुमोदन।

क	नवम्बर, 2014 से जून, 2015 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों द्वारा दिया गया अनुमोदन	सीप्ज
ख	25 अप्रैल, 2015 से जुलाई, 2015 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन शून्य है	आई एस ई जेड
ग	अप्रैल, 2015 से जून, 2015 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन	के ए एस ई जेड
घ	जून, 2015 माह के लिए तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन शून्य है	एम ई पी जेड
ड.	अप्रैल, 2015 से जून, 2015 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के	एफ एस ई जेड

	अंतर्गत दिया गया अनुमोदन शून्य है	
च	**अप्रैल, 2015 से जुलाई, 2015 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन**	**वी एस ई जेड**
छ	**जून, 2015 से जुलाई, 2015 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन**	**एन एस ई जेड**